भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3306
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण मिशन (पोषण अभियान) के तहत प्रदर्शन

3306. **श्री अभिषेक बनर्जीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2020-21 से पोषण अभियान के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) वास्तविक समय निगरानी के लिए कार्यशील उपकरणों से लैस आंगनवाड़ी केंद्रों का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में बाल कुपोषण में दर्ज किए गए गिरावट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): कुपोषण की चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान तथा किशोरियों के लिए योजना (महत्त्वाकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों हेतु) को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत समाहित किया गया है। यह एक एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

						करोड़ रुपये
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	2020-21 में जारी निधि	2021-22 में जारी निधि	2022-23 में जारी निधि	2023-24 में जारी निधि	2024-25 में जारी निधि	2025-26 में जारी निधि
	16105.78	18368.01	19849.82	21741.17	20904.83	16777.37

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत अग्रणी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर उन्हें समर्थ बनाया गया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा हेतु व्यय का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी लाभार्थियों की नियमित वृद्धि मापन के लिए चार वृद्धि निगरानी उपकरणों लम्बाई मापने के लिए इंफैंटोमीटर तथा स्टेडियोमीटर, शिशु वज़न मापी यंत्र तथा माता व बच्चे के लिए वज़नमापी यंत्र का एक सेट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, वृद्धि मापन सहित सभी संकेतकों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा स्मार्टफोन के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्मार्टफोन के लिए 2 प्रतिशत बफर तथा जीएमडी के लिए 5 प्रतिशत बफर का प्रावधान जिला स्तर पर रखरखाव हेतु किया गया है, ताकि इन उपकरणों के खराब होने अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में डेटा प्रविष्टि प्रभावित न हो। दिशानिर्देशों के अनुसार, 4 वर्ष से अधिक पुराने स्मार्टफोन तथा जीएमडी प्रतिस्थापन के लिए पात्र हैं।

कुपोषण संबंधी संकेतकों के आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अंतर्गत एकत्र किए जाते हैं। 1992-93 से आयोजित एनएफएचएस के विभिन्न चरणों में भारत में कुपोषण संबंधी संकेतकों में वर्षों के दौरान सुधार परिलक्षित हुआ है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-6 तक इन संकेतकों का विवरण निम्नानुसार है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनापन %**	**कम वजन %**	**दुबलापन %**
एऩएफएचएस-1 (1992-93) *	52	53.4	17.5
एऩएफएचएस-2 (1998-99) **	45.5	47	15.5
एऩएफएचएस-3 (2005-06) ***	48.0	42.5	19.8
एऩएफएचएस-4 (2015-16) ***	38.4	35.8	21.0
एऩएफएचएस-5 (2019-21) ***	35.5	32.1	19.3
एऩएफएचएस-6 (2023-24) ***	29.3	31.8	19.0

* 4 वर्ष से कम आयु ** 3 वर्ष से कम आयु *** 5 वर्ष से कम आयु

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों पर सभी लाभार्थियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए आईसीटी आधारित निगरानी उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन प्रारंभ किया गया है। देश में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण संबंधी संकेतकों का राज्यवार विवरण पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड: https://www.poshantracker.in/statistics. पर उपलब्ध है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने, विशेष रूप से कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप पका हुआ गर्म भोजन एवं घर ले जाने हेतु राशन के रूप में पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए घर ले जाने हेतु राशन के माध्यम से अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाता है।
- मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव एवं जन-जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी विषयों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि पोषण संबंधी बेहतर आदतों को अपनाने के लिए सतत व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित पोषण माह तथा मार्च–अप्रैल में आयोजित पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के अंतर्गत नियमित जन-जागरूकता गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ष 2018 से अब तक 16 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियाँ आयोजित की जा चुकी हैं, जिनसे न केवल लक्षित लाभार्थियों बल्कि व्यापक समुदाय को भी जागरूक किया गया है।
- समुदाय आधारित कार्यक्रमों ने पोषण संबंधी व्यवहारों में परिवर्तन लाने की एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रतिमाह समुदाय आधारित दो कार्यक्रमों का आयोजन करना अनिवार्य है। अप्रैल, 2022 से जून, 2026 तक पोषण ट्रैकर पर लगभग 10.5 करोड़ समुदाय आधारित कार्यक्रमों की सूचना दर्ज की गई है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से, बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार सुनिश्चित करना तथा उससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु-दर में कमी लाना है।
- मिशन के अंतर्गत दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि बेहतर पोषण सेवा दी जा सकें तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा गतिविधियां की जा सकें। इन सक्षम आंगनवाड़ियों में एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा सामग्री तथा भवन की दीवारों पर चित्रकला के माध्यम से शिक्षण जैसी उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजीजेयूए) प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों तथा आकांक्षी ब्लॉकों के अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों को पूरी तरह शामिल करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस अभियान के अंतर्गत 875 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के तालमेल से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क एवं दूरसंचार संपर्क, जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची है, उन्हें बिजली का कनेक्शन देना तथा सतत आजीविका जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत विशेषकर कमजोर जनजातीय क्षेत्रों में 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना,

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं से निधियों का उपयोग करना जारी रखें।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के विषय में जन-जागरूकता बढ़ाना है।
